रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2017/आश्विन 13, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 279
No. 369]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2017/ASVINA 13, 1939	[N.C.T.D. No. 279

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2017

सं.फा. 16(523)/श.वि./डब्ल्यू /2015/1334–1335.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 02 फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या फा0 09/51/82–एलएसजी/527 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड में **विधि अधिकारी (जल)** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों को **विधि अधिकारी (जल)** दिल्ली जल बोर्ड भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा पे बैंड तथा ग्रेड पे/उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

''अनुसूची''

1.	**पदनाम**	:	**विधि अधिकारी (जल)**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (2016) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'क'
4.	**पे बैंड/ग्रेड पे/वेतनमान**	:	पीबी–3 15600–39100/–रुपये (ग्रेड पे 7600/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं भौक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	मिश्रित पद्धति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित जमा पदोन्नति)
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**मिश्रित पद्धतिः** **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्धसरकारी या सांविधिक/स्वायत्त संगठन के निम्नलिखित अधिकारीः– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले अथवा

			(2) पे बैंड–3 में 15600–39100/–रुपये (ग्रेड पे 6600/–रुपये) सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। (3) दस वर्षो की नियमित सेवा सहित राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि. अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक की तीन वर्षीय उपाधि. अथवा (iii) विधि व्यवसाय (प्रैक्टिशनर) के रूप में सात वर्ष का अनुभव अथवा विधिक कार्य में सात वर्ष का अनुभव. अथवा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में पांच वर्षीय समेकित उपाधि; तथा (ii) विधि व्यवसाय (प्रैक्टिशनर) के रूप में आठ वर्ष का अनुभव अथवा विधिक कार्य में आठ वर्ष का अनुभव. **टीप–1:** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप–2:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टीप–3:** प्रतिनियुक्ति/समावेशन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है। 2. पे बेंड–2 में 9300–34800/–रूपये, ग्रेड पे 4600/–रूपये सहित ग्रेड में बारह वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक विधि अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति वालों के साथ विचारणीय होंगे और यदि नियुक्ति के लिए उनके चयन की स्थिति में, तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	लागू नहीं।
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चन्द्रशेखर, उप–सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th October, 2017

No. 16(523)/UD/W/2015/1334-1335.—The following regulations made by the Delhi Water Board which in exercise of powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration Notification No. F 9/51/82-LSG/527 dated the 2nd February, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of the Competent Authority and the Union Public Service Commission, for regulating the method of recruitment to the post of Law Officer in Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement –** (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Law Officer the Recruitment and promotion Regulations, 2017.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, Classification and pay band and grade pay/scale of pay -** The number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications -** The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification -** No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax -** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving -** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Law Officer (water)	1 (2016) Subject to variation	Category 'A'.	PB -3, Rs. 15600-39100 Plus Grade pay	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	dependent on workload.		Rs. 7600/-)				

Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and % of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9.	10.	11.	12.	13.
Two years.	By Composite method (Deputation ISTC plus Promotion)	**<u>Composite method:</u>** **<u>Deputation (Including Short-term contact) Plus promotion:</u>** 1. Officer under the Central/State Government/UTS./Universities/Recognized Research Institutions/PSUS/Semi Government OR Autonomous OR Statutory Organizations:- (A) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; OR (II) With five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100/- with grade pay of Rs. 6600/- OR equivalent in the parent cadre/department; OR (III) A member of the State Judicial Service with ten years of regular Service; AND (B) Possessing the following educational qualification and experience: (I) Bachelor's degree from a recognized university/Institute; AND (II) Three years' Bachelor's degree in Law from a recognized University/Institute; AND (III) Seven years' experience as legal practitioner or seven years' experience in legal work. OR (I) Five Years' integrated degree in Law from a recognized University/Institute; AND (II) Eight years' experience as legal practitioner or eight years' experience in Legal Work. **Note 1 :** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on occasion.

		Note 2 : (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central Goverment shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (The date from which the revised pay structure based on the 6^{th} Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgration. 2. The departmental Assistant Law Officer in pay band 2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/- with twelve years of regular service in the grade will also be considered along with deputationists and in case he/she is selected for appointment the post shall be deemed to have been filled by promotion.		

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

CHANDRA SHEKHAR, Dy. Secy. (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.10.07 15:24:05 +05'30'